2.06.2020

Dr. Purnima Singh
Department of Political Science.

B.A Part II Paper - III Indian Government and politics Topic - Constitution - 5 Lecture - 50

Constitution - 5 भारतीय संविधान के आधारभूततत्व

13. राष्ट्र की एकता और अखंडता (Unity and Integrity of the nation) — संविधान की प्रस्तावना में 'एकता' शब्द को मूल रूप में शामिल किया गया था। किन्तु 'अखंडता' शब्द कुख्यात राष्ट्रीय आपातकाल के समय सन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में बढ़ाया गया है। 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' शब्द इसलिए आधारभूत और सारभूत महत्व के हैं, क्योंकि कोई भी देश या राष्ट्र अपनी एकता और अखंडता को खतरे में पड़ा हुआ नहीं देख सकता। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राष्ट्र की एकता और अखंडता को हानि पहुँचाने जैसी आत्मघाती बातों का कोई उल्लेख नहीं है, इसके विपरीत आपातकाल के दौरान सन 1976 में 42 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए जिन 10 मूल कर्तव्यों की योजना की गई है, उनमें भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने तथा बनाए रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

14 सारभूत लक्षणों का आधार (Basis of Core Provisions) — भारतीय संविधान के ऊपर दिए गए आधारभूत लक्षणों से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान सभा के प्रायः समस्त सदस्यगण आधुनिक युग के राजनीतिक दर्शन से परिचित थे।

उनका दृष्टिकोण उदार, लोकतन्त्रवादी और धर्मनिरपेक्ष था। वे रूढ़िवादिता से पूरी तरह दूर थे, उनकी सोच वैज्ञानिक थी। वे ऐसा गतिशील संविधान का निर्माण करने के लिए कृतसंकल्प थे जो आधुनिक भारतीय समाज की आधुनिक युग से सम्बन्धित जरूरतों को पूरा कर सके। यही कारण है कि उन्हें संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतन्त्रात्मक गणराज्य की घोषणा करने, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने, उन्हें विचार अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता की गारंटी देने आदि के प्रावधान शामिल करने में कठिनाई नहीं हुई। इसके साथ ही आधुनिक समय के राजनीतिक दर्शन के अनुसार भारत के सभी नागरिकों के जीवन के लिए आवश्यक और अनिवार्य मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करने, न्यायपालिका द्वारा उन्हें संरक्षित करने, वंश, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करते हुए सभी को अपनी आजीविका प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा बनाए रखने के समान अवसर देने, पंथनिरपेक्षता के श्रेष्ठ आदर्शों के अनुरूप मत-पंथ या मजहब और उपासना की आजादी देने आदि की व्यवस्थाएँ सरलता से स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई और संविधान के अनुच्छेद ४४ के अन्तर्गत समान नागरिक संहिता आदि की व्यवस्थाएँ करके उसे और अधिक पुष्ट करने पर बल दिया गया है।

भारतीय संविधान के स्त्रोत - 1
(Sources of the Indian Constitution).

भारतीय संविधान के अनेक महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं तथा उसके स्त्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है –

(a) जन्म सम्बन्धी स्त्रोत (Seminal Sources) – जन्म सम्बन्धी स्त्रोत उन्हें कहा जाता है, जिन्होंने संविधान के निर्माण पर प्रभाव डाला था, जिससे हमारे संविधान के निर्माताओं ने कई सिद्धान्त तथा नियम ग्रहण करके भारतीय संविधान में सम्मिलित किए थे। जन्म सम्बन्धी स्त्रोत भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व विद्यमान थे।

(b) विकासवादी स्त्रोत (Developing Sources) विकासवादी स्त्रोत ऐसे तथ्यों को कहा है, जिन तथ्यों ने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्त्रोत स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे विकासवादी तथ्य अथवा स्त्रोत संविधान के लागू होने के पश्चात अस्तित्व में आए थे।

(a) जन्म सम्बन्धी स्त्रोत (Seminal Sources)

(1) 1948 का मसौदा संविधान (Draft Constitution of 1948) – संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक मसौदा समिति (Drafting Committee) नियुक्त की थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अम्बेडकर थे।